FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **सरकार** बनाम **साकिर**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट**

प्रा0पत्र नम्बर 15/243/2022 दायर दिनांक 28.11.2022

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.11.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा पिकअप रजि0 संख्या आर.जे.–05–जी.बी.–8230 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना गोविन्दगढ़ से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। थानाधिकारी गोविन्दगढ़ द्वारा दिनांक 19.11.2022 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण में रजिस्टर्ड वाहन स्वामी साकिर पुत्र फकरूद्दीन जाति मेव निवासी सीकरी थाना सीकरी जिला भरतपुर से अनुसंधान किया जा चुका है। अतः जप्तशुदा वाहन को नियमानुसार सुपुर्दगी पर दिये जाने पर मुकामी पुलिस थाना को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/– (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। पत्रावली वास्ते पेश करने सुपुर्दनामा/तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे। पत्रावली दिनांक 05.12.2022 को पेश हो। **जिला कलक्टर** **अलवर**	

30/11/22

विद्वान वकीलों के उपस्थिति पर पत्रावली तलब होकर पेश हुई। विद्वान वकीलों द्वारा निर्धारित राशि के भुगतान की रसीद पेश किया जो तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली परीक्षण हेतु होकर बाद प्र. SDO सिविल को अवलोकनार्थ भेजी जावे पत्रावली [illegible] शामिल हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)